

बीड में आरक्षित जमीन पर अरबों के घोटाले को लेकर संदीप क्षीरसागर कि असेंबली में गुंज



सारडा इस्टेट, बलगुजार, गिराम, बोबडे सर्वे नंबर भी शामिल

मुंबई, १५ जुलाई (प्रतिनिधि): बीड शहर में नगर परिषद प्रशासन, नगर रचना विभाग और पंजीकरण कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला है। खेल के मैदान, मंदिर, गार्डन और महिलाओं के शौचालय जैसी सार्वजनिक जरूरतों के लिए आरक्षित भूखंडों पर प्लॉटिंग करके इन भूमाफियाओं ने करोड़ों का राजस्व बर्बाद कर अरबों रुपये का घोटाला किया है। इससे आम नागरिकों और सरकार दोनों की भारी फजीहत हुई है।

बीड के विधायक संदीप क्षीरसागर ने इन भूमाफियाओं की करतूतों को सबूतों के साथ राज्य विधानसभा में उजागर किया। इस मामले में आगामी दो महीनों के भीतर कार्रवाई की जाएगी और भूमाफियाओं के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा आश्वासन राज्य के नगर विकास राज्यमंत्री ने सदन में दिया।

प्लेग्राउंड, मंदिर, गार्डन, शौचालय के लिए आरक्षित जमीनों की भी नहीं बख्शा

बीड में जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ा, वैसे-वैसे जालना रोड, नगर रोड और बाशों रोड जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग शुरू हुई। बंगले, अपार्टमेंट और रो-हाउस निर्माण के पीछे भूमाफियाओं की एक सक्रिय गैंग काम कर रही थी। नगरपालिका प्रशासन, नगर रचना विभाग और दस्तावेज पंजीकरण कार्यालय के अधिकारियों की मिलीभगत से इन भूमाफियाओं ने ओपन स्पेस की भी प्लॉटिंग करके करोड़ों का भ्रष्टाचार किया।

बीड शहर में बच्चों के खेलने के मैदान, गार्डन, मंदिर और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीन को प्लॉटिंग करके आम नागरिकों को बेचा गया। यह गंभीर धोखाधड़ी आ. संदीप क्षीरसागर ने मंगलवार (१५ जुलाई) को विधानसभा में लक्ष्मि सूचना के माध्यम से उजागर की। वे इस मुद्दे पर सदन में आक्रामक रूप में दिखाई दिए।

इस सर्वे नंबरों में किया गया बड़ा खेल विधायक क्षीरसागर ने बताया कि बीड नगर परिषद अंतर्गत सर्वे नंबर २९ (माळी), १९४ (बलगुजर), १९७-१९९ (खोड सारडा रिसिडेन्सी), ३४, ३५, ६८, ६९, ७९ (गिराम), १७३ (बलगुजर), ५३, ५६, ५९, १८८ (पिंगळे), १६, १७ (देशमुख), १५१, १५२ (बोबडे) में बड़े पैमाने पर आरक्षित भूखंडों की अवैध बिक्री की गई है।

कुछ मामलों में तो गलत लेआउट पास करवा कर प्लॉट्स को आरक्षित भूमि से हटाकर बेचा गया। विशेष बात यह है कि प्लेग्राउंड और सार्वजनिक सुविधाओं

के लिए जो जमीन आरक्षित थी, उसे भी प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। यह सीधे तौर पर शासन और जनता दोनों के साथ धोखाधड़ी है। विधायक क्षीरसागर ने यह भी कहा कि वह पिछले ६-७ महीनों से इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। यह मामला न केवल बीड में बल्कि राज्यभर के लिए चेतावनी है कि किस तरह सरकारी जमीनों को हथियाकर भूमाफिया अवैध कमाई कर रहे हैं। विधायक ने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

वक्फ संपत्तियों पर किरायानामा न होने पर बुलडोजर कार्रवाई तय-वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काज़ी की चेतावनी

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद): शहर में उच्च न्यायालय के आदेश के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए युद्धस्तर पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई की जद में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियाँ भी आ रही हैं। अनेक लोगों ने वक्फ बोर्ड से विधिवत किरायानामा किए बिना इन संपत्तियों पर अवैध रूप से बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने ऐसे अवैध कब्जाधारकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आगामी १५ दिनों के भीतर वक्फ बोर्ड से विधिवत किरायानामा नहीं किया गया, तो इन संपत्तियों पर भी बुलडोजर कार्रवाई अनिवार्य होगी।

सड़क चौड़ीकरण में वक्फ संपत्तियाँ

भी सवालियों के घेरे में जालना रोड, हरसूल रोड समेत कई इलाकों में वक्फ बोर्ड के अधीन संपत्तियाँ स्थित हैं। इनमें से कई पर बगैर अनुमति घर-दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इस मुद्दे पर नगर निगम के प्रशासक डी. श्रीकांत ने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई सरकारी नियमों के तहत की जाएगी। जिनके पास विधिवत किरायानामा है, उन्हें राहत दी जाएगी, लेकिन अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सड़क चौड़ीकरण (उल्ल रोड) पर चल

रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं के



साथ एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें वक्फ बोर्ड के विशेष अधीक्षक खुसरो खान भी उपस्थित थे। बैठक में बोर्ड की स्थिति स्पष्ट की गई और कुछ अतिक्रमण से उत्पन्न हो रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई।

वक्फ जमीनों समाज के लिए इस्तेमाल होगी - समीर काज़ी

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी ने यह भी कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ

ठोस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ की जमीनों पर युवाओं के लिए प्रशिक्षण और व्यवसाय हेतु स्थान उपलब्ध कराने की योजना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ है, उन्हें पुनः संरचित करके वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में लाया जाएगा। यह कार्य एक महीने की अवधि में पूर्ण किया जाएगा। इस मुहिम का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए उपयोग करना है, और अतिक्रमण रोककर समाज के हक में इन जमीनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।

पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार वोटर लिस्ट पर वीडियो को लेकर केस दर्ज



पटना संवाददाता पत्रकार अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में एक वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया गया है। यह वीडियो वोटर लिस्ट की समीक्षा और उसमें कथित अनियमितताओं

को लेकर था। अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में बिहार के मतदाता सूची में हो रहे बदलावों और उसमें संभावित धांधली पर सवाल उठाए थे। इस वीडियो के चलते उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, झूठी जानकारी फैलाने और भ्रामक बयान देने जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक अजीत अंजुम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि यह कदम आवाज दबाने की कोशिश है। यह मामला आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है।

गेवराई तालुका की १३९ ग्राम पंचायतों का आरक्षण घोषित-कहीं खुशी, कहीं गुम का माहौल

गेवराई: (काजी अमान) गेवराई तालुका की १३९ ग्राम पंचायतों का श्रेणीवार आरक्षण मंगलवार, दिनांक १५ जुलाई को दोपहर १२ बजे पारदर्शी प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया। इस आरक्षण प्रक्रिया की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कई स्थानीय युवा नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिससे 'कहीं खुशी, कहीं गुम' जैसा दृश्य तालुका भर में देखने को मिला।

तहसीलदार संदीप खोमणे ने जानकारी दी कि इस आरक्षण प्रक्रिया में १७ ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति

(SC) के लिए, २ ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए, ३७ पंचायतें नागरिकों के मागास प्रवर्ग (जड़ु) के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि बाकी सीटें सामान्य महिला-पुरुष गट के लिए छोड़ी गई हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शक रूप से की गई जिसमें छोटे बच्चों द्वारा आरक्षण पर्ची निकाली गई। यह आरक्षण गेवराई तहसील कार्यालय में तहसीलदार खोमणे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अनुसूचित जाति (SC) हेतु आरक्षित ग्राम पंचायतें: सामान्य गट (SC):

बोरीपिंपळगांव, राजपिंपरी, कांबी मजरा, औरंगपुर कुकडा, चकलांबा, सेलू, शहाजणपूर चकला, भोगलगांव महिला गट (SC): गुलज, मालेगांव बु., महांडळा, रसुलाबाद, राजापुर, सैदापुर/जोडवाडी, किनगाव, रई, पोईतांडा अनुसूचित जमाती (ST) हेतु: सामान्य गट (ST): कोळगाव महिला गट (ST): सुशी वडागांव मागासवर्गीय नागरिक गट (OBC) हेतु: सामान्य गट: वसंतनगर तांडा, गैबीनगरतांडा,

रेवकी, देवपिंपरी, गायकवाड जळगांव, भंडगावाडी, मिरकाळा, दैठण, सिरसदेवी, टाकळगव्हाण तरफ, बाबुलतारा, बोरगाव बु., कुंभे जळगांव, सुशी, तांदळा, सिंदखेड, टाकळगव्हाण तालखेड, नागझरी महिला गट (OBC): जयरामनाईकतांडा, आहेंर वाहेगांव, गंगावाडी (राहेरी), दिमाखवाडी, मनुबाई जवळा, पाडळसिंगी, वाहेगांव आमला, उकडपिंपरी, वंजारवाडी, पाथरवाला बुद्रुक, राहेरी, गोंदी खुर्द, सुर्दी बु., आगर नांदूर, पांढरी, उमापुर, खांडवी, संगम जळगांव, डोईफोडवाडी

सामान्य गट (General) हेतु: सामान्य (General) गट: अर्धपिंपरी, हिवरवाडी, चोरपुरी, शेकटा, भाट अंतरवली, मालेगांव खु., सुरळेगांव, धोंडराई, पांचाळेश्वर, राक्षसभुवन, गोंडगांव, भोजगांव, माटेगांव, खळेगांव, कोल्हेर, लुखामसला, कटचिचोली, हिंगणगांव, वडागांव ढोक, तलवाडा, अंतरवली बु., गोंविंदवाडी, रामपुरी, ठाकर आडगांव, ताकडगांव, तळेवाडी, रांजणी, अर्धमसला, भेंड बु., एरंडगांव, पिंपळगांव कानडा, तळवट बोरगांव, खेडावाडी, जव्हारवाडी, मानमोडी, पोखरी, सिरसमार्ग, धारवंटा,

मादळमोही, बंगालीपिंपळा, रोहितळ महिला गट (General): महारटाकळी, बालानाईकतांडा, पौळाचीवाडी, गुंतेगांव, तळणेवाडी, पांढरवाडी, खामगांव, सावळेश्वर, काठोडा, मिरगांव, बोरगांवथडी, चव्हाणवाडी, जातेगांव, चोपडयाचीवाडी, केकतपांगरी, मुधापुरी, रानमळा, धानोरा, भेंडटाकळी, भेंड खु., आम्ला, नांदलगांव, कुंभारवाडी, इंटरकर, काजळा, टाकळगाव, मुळुकवाडी, गढी, बागपिंपळगांव, धुमेगाव, मारफळा, खेडा बु., सिंदफना चिंचोली, गोपत पिंपळगांव, पाचेगाव,

गोळेगांव, ढालेगाव, सावरगांव पोखरी, मन्यारवाडी, हिरापुर, निपाणी जवळका, बेलगांव इस आरक्षण प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण ग्राम पंचायतें आरक्षण में चली गईं, जिससे कुछ स्थानीय नेताओं की चुनावी गणनाएं फेल हो गईं। कुछ कार्यकर्ता तहसील कार्यालय में आरक्षण की घोषणा तक जमे रहे, लेकिन जब मनचाहा आरक्षण नहीं मिला तो निराश होकर लौट गए। तहसीलदार संदीप खोमणे ने बताया कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और पारदर्शक तरीके से संपन्न की गई।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

कांग्रेस का विरोध हिंदी नहीं, बल्कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता के खिलाफ

मीरा-भायंदर में 'हम मराठी, हम भारतीय' भाषा कार्यशाला में हर्षवर्धन सपकाळ का स्पष्ट संदेश

मुंबई: जमीर काजी मराठी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक संस्कृति और महाराष्ट्र धर्म है। कांग्रेस को हिंदी से कोई विरोध नहीं है, बल्कि तीसरी भाषा को अनिवार्य रूप से थोपे जाने का विरोध है। हालांकि, मराठी के नाम पर गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अगर मराठी को हाथ लगाया गया तो चेतावनी है - खबरदार! - यह कड़ा संदेश महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने मंगलवार को दिया।

वे मीरा-भायंदर में कांग्रेस द्वारा आयोजित 'हम मराठी, हम भारतीय' मराठी भाषा कार्यशाला में बोल रहे थे। मंच पर प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन, उपाध्यक्ष गणेश पाटील, भावना जैन, रमेश शेड्डी, मराठी भाषा विभाग प्रमुख डॉ. दीपक पवार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत



आदि मौजूद थे।

संघ और बीजेपी पर तीखा प्रहार सपकाळ ने कहा कि हिंदी की जबरन थोपने की जो योजना है, उसका आधार आरएसएस प्रमुख रहे गोलवलकर की किताब 'बंच ऑफ थॉट्स' से लिया गया है। भाजपा और संघ को भारत का संविधान स्वीकार नहीं, जबकि भारत की पहचान विविधता में एकता है। लेकिन भाजपा 'वन

नेशन, वन इलेक्शन, वन लैंग्वेज' का एजेंडा लाना चाहती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ हिंदी, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लागू करना चाहते हैं और इसी कारण भाषा विवाद जानबूझकर पैदा किया गया है।

मीरा रोड का चुनाव क्यों? मीरा रोड को कार्यशाला स्थल के रूप

है।

हिंदी की अनिवार्यता से शिक्षा प्रणाली बिगड़ेगी और आगे चलकर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का कानून भी रद्द किया जा सकता है, उन्होंने चेताया।

भाजपा की राजनीति पर निशाना कार्यक्रम में बोलते हुए मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि अब राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, इसलिए भाजपा ने अब जातिवाद, प्रांतवाद और भाषावाद शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संपत्तियाँ बेची जा रही हैं और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाषावाद जैसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने हमेशा अन्य राज्यों के लोगों को अपनाया है और कभी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया, लेकिन भाजपा ने

जानबूझकर भाषा विवाद शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक स्वार्थ है।

सरकार के इरादों पर सवाल मराठी भाषा विभाग के डॉ. दीपक पवार ने कहा कि आंदोलन तीसरी भाषा की अनिवार्यता के विरोध में था, लेकिन सरकार ने जानबूझकर उसे हिंदी विरोधी दिखाने की कोशिश की।

उन्होंने बताया कि भले ही सरकार ने दो जीआर रद्द कर दिए हों, परंतु डॉ. नरेंद्र जाधव समिति गठित की गई है।

उन्होंने कहा कि चाहे समिति कोई भी रिपोर्ट दे, कांग्रेस तीसरी भाषा की अनिवार्यता का विरोध करती रहेगी। पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने का दबाव मराठी को हिंदी की उपभाषा बना देगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी से प्रेम करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के नए प्रदेशाध्यक्ष बने शशिकांत शिंदे

पार्टी बैठक में शरद पवार ने की घोषणा



मुंबई, १५ जुलाई: (जमीर काजी) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) ने अपनी प्रदेश इकाई को नई दिशा देते हुए शशिकांत शिंदे को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह घोषणा खुद पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने मंगलवार को यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में की।

इस बैठक में जयंत पाटील ने अपने प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और खुद ही शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अनुमोदित किया। चूंकि इस पद के लिए केवल शिंदे का नाम आया, उन्हें बिना विरोध निर्वाचित किया गया।

शशिकांत शिंदे पार्टी की स्थापना के समय से ही शरद पवार के करीबी रहे हैं और वर्तमान में विधान परिषद में पार्टी के प्रमुख सचिव हैं। संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व में उन्हें व्यापक अनुभव है।

कौन हैं शशिकांत शिंदे? शशिकांत शिंदे महाराष्ट्र के सातारा जिले के जावळी तालुका स्थित हुमगांव के निवासी हैं। वे वाणिज्य संकाय से स्नातक हैं और माथाडी कामगार नेता के रूप में जाने जाते हैं।

१९९९ में पहली बार जावळी विधानसभा सीट से विधायक बने।

वे महाराष्ट्र राज्य के कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळ में जलसंपदा मंत्री रह चुके हैं।

२००९ से २०१४ तक वे कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक चुने गए। कुल मिलाकर उन्होंने दो बार जावळी और दो बार कोरेगांव से विधायक के रूप में कार्य किया।

२०१९ में उन्हें शिवसेना के महेश शिंदे से हार का सामना करना पड़ा, और २०२४ में उदयनराजे भोसले से सातारा लोकसभा सीट पर करीबी

मुकाबले में पराजय हुई।

आर. आर. पाटील की तरह अवसर को बनाऊंगा सोना - शशिकांत शिंदे शशिकांत शिंदे ने कहा:

पार्टी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, फिर भी मुझे प्रदेशाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई, यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस अवसर को आर. आर. पाटील की तरह सोने में बदलने की कोशिश करूंगा।

शासन की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस को फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में लाने के लिए दिन-रात मेहनत करूंगा।

अगले एक महीने में राज्यभर का दौरा करके संगठन को मजबूत करूंगा और युवाओं को विशेष रूप से आगे लाने का प्रयास करूंगा।

पवार साहब के साथ ही रहूंगा - जयंत पाटील

पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील ने कहा:

मैंने बीते २६३३ दिनों तक प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पार्टी के अच्छे-बुरे वक्त में कार्य किया।

शरद पवार साहब के मार्गदर्शन में राज्य भर में दौरो के जरिए पार्टी को मजबूत किया।

यह इस्तीफा किसी अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है।

मैं आगे भी पवार साहब के नेतृत्व में पार्टी के लिए समर्पित रूप से काम करता रहूंगा।

जिल्हा परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिथिन रहमान का स्वागत



महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे से हुई शिष्टाचार भेंट

बीड,

बीड जिल्हा परिषद के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिथिन रहमान से महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे ने भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर संवाद हुआ।

भेंट के दौरान जिथिन रहमान ने जिले की समग्र परिस्थितियों को समझने की इच्छा जताई और विकास कार्यों को गति देकर आम नागरिकों के मन में प्रशासन के प्रति विश्वास निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा विश्वास उनके संवाद से स्पष्ट रूप से झलकता है।

विधान परिषद में उठे राज्य के तीन प्रमुख मुद्दे: जल परियोजना, अवैध कल्लखाने और शिक्षक भर्ती पोर्टल

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि: १. परियोजना के लिए ज़मीन देने वालों पर कोई अन्याय नहीं होगा - जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्य सरकार की स्पष्ट भूमिका है कि परियोजना क्षेत्र के बाहर पानी नहीं जाएगा और परियोजना के लिए ज़मीन देने वाले किसानों पर कोई अन्याय नहीं होगा। यह बात जल संसाधन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील ने विधान परिषद में बताया।

नीरा देवघर परियोजना से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ६५ से १५८ किमी तक की लंबाई का काम बंद नली वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है और खुले कैनाल का अस्तरीकरण भी किया जाएगा। इससे लगभग ३ टीएमसी पानी की बचत होगी। उन्होंने यह भी बताया कि उ३- और ख३- के अंतर को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और परियोजना क्षेत्र के बाहर पानी देने की कोई योजना नहीं है।

२. राज्य के सभी अवैध कल्लखानों पर होगी कार्रवाई - मंत्री डॉ. उदय सामंत मुंबई, विशेष प्रतिनिधि: मालेगांव सहित राज्य के सभी अवैध कल्लखानों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह जानकारी मंत्री डॉ. उदय सामंत ने विधान परिषद में दी।

मालेगांव के कुैरेशी मोहल्ला से लेकर सरदार चौक तक अवैध कल्लखानों की स्थिति चिंताजनक है। इस पर स्थानीय पुलिस को और

अधिक सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। त्योहारों के दौरान जो अस्थायी कल्लखाने नगर पालिका द्वारा लगाए जाते हैं, वहां मिट्टी या बालू का उपयोग कर खून बहने से रोकने की सावधानी बरती जाती है। मोसम नदी में रक्त-मिश्रित पानी छोड़े जाने के प्रमाण मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। मोसम नदी के संरक्षण हेतु १०.५२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से ५.२६ करोड़ मालेगांव नगर निगम को दिए गए हैं।

३. 'पवित्र पोर्टल' बंद नहीं होगा, लेकिन सुधार जरूरी - राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि: शिक्षक भर्ती के लिए उपयोग किया जाने वाला 'पवित्र पोर्टल' बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें आवश्यक सुधार किए जाएंगे। यह जानकारी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने विधान परिषद में दी। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं, निजी अनुदानित और बिना अनुदानित स्कूलों में रक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है। हालांकि, कई बार उम्मीदवार अनुपस्थित रहते हैं या अयोग्य साबित होते हैं, जिससे दिक्कतें आती हैं। इसलिए अब उच्च गुणवत्ता वाले उम्मीदवारों को मौका देने के लिए नई सुधारामय योजना लाई जा रही है।

विभाग को यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि पूर्व में नियुक्त उम्मीदवारों के नाम पोर्टल से हटाए जाएं और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, दक्ष और सरल बनाया जाए।

महावितरण युनिट ३ पाटोदा विभाग में नये-ए के कार्यभार स्वीकार करने पर सत्कार



बीड: महावितरण युनिट ३ (पथ बीड) में हाल ही में नवनियुक्त सहायक अभियंता नलावडे (-ए) ने पदभार संभाल लिया है। इस अवसर पर उनका उत्साहपूर्वक सत्कार किया गया। सत्कार समारोह में जय हिंद इलेक्ट्रिक कंपनी के मालिक कस्यूम इनामदार उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में लाइनमैन मोरे, शंकर, काटकर और चव्हाण भी मौजूद थे। सभी ने मिलकर नए-ए का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

गुजरात में ५२५ सरकारी स्कूल बंद; आठ वर्षों में ९८८ निजी स्कूल खुले

राज्य सरकार अभी भी ५६२१ स्कूलों को बंद कर गरीब बच्चों को निरक्षर रखेगी।

(अहमदाबाद से हबीब शेख कि रिपोर्ट)

गुजरात सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहते हों कि राज्य के हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार की दया और करुणा भरी निगाहों के कारण राज्य में निजी स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अपने ५२५ सरकारी स्कूल बंद कर दिए

हैं और ९८८ निजी स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। इस प्रकार, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई कराना पसंद नहीं करती। राज्य सरकार ने नारा दिया था कि 'गुजरात सीखेगा', लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ५६२१ स्कूलों को बंद करने की तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने कहा था कि यदि इतनी बड़ी

संख्या में स्कूल बंद हो गए तो इसका मतलब होगा कि राज्य के गरीब, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। यदि ५६२१ स्कूल बंद हो जाएं तो उन क्षेत्रों के परिवारों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पड़ेगा, भले ही उनकी फीस बहुत अधिक हो। इससे बच्चे, विशेषकर आदिवासी और दलित क्षेत्रों के बच्चे, पढ़ाई के अवसर से वंचित हो जाएंगे। राज्य में जहां कुछ

स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है जो सभी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाता है, वहीं १६०० स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही कक्षा है जिसमें सभी कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठते हैं।

हालांकि, लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात सामने आई कि गुजरात में ४०,००० कक्षाओं की तत्काल आवश्यकता के बावजूद राज्य सरकार ने

राज्य के बच्चों की शिक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है, जिससे उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अनुसार, २०१५ में राज्य में १२,५०२ निजी स्कूल थे, जो २०२३-२४ में बढ़कर १३,४९० हो गए। इसके विपरीत, पहले सरकारी

स्कूलों की संख्या ३५,१२२ थी, जो आज घटकर ३४,५९७ रह गई है। इसका मतलब यह है कि सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य सरकार गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करने पर आमादा है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बारशी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafuiddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com